उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-1/2017/वे0आ0-2-02/दस-17-01(एम)2016

लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के वेतनमानों पुनरीक्षण के संबंध में विचार कर संस्तुति देने हेतु शासकीय संकल्प सं0-38/2016/वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016, दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा श्री जी0 पटनायक, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में वेतन समिति का गठन किया गया है। वेतन समिति द्वारा राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों के सामान्य पुनरीक्षित वेतनमानों के साथ-साथ पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति दी जा चुकी है।

2- वेतन समिति द्वारा अभी विभिन्न श्रेणी के सामान्य कोटि के पदों के साथ-साथ राजकीय विभागों के विभिन्न श्रेणी के पदों तथा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं आदि के संबंध में संस्तुतियॉ दिया जाना शेष है। अतः राजयपाल महोदय वेतन समिति का कार्यकाल 01-03-2017 से अगले 06 माह अर्थात दिनांक 31-08-2017 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-1/2017/वे0आ0-2-02(1) /दस-16-01(एम)2016 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलहाबाद।
2- अध्यक्ष, वेतन समिति।
3- सदस्य सचिव, वेतन समिति, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
5- प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
6- वित्त(सामान्य)अनुभाग-1/2/3.
7- नियुक्ति अनुभाग-1.
8- इरला चेक अनुभाग।
9- मुख्य कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (सेवायें) अनुभाग-1/4.
11- लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in